

नायब तहसीलदार, बसवा जिला-दौसा

—:निर्णय:—

मिसल नं. 01 वर्ष 2022 निर्णय दिनांक 07/9/2022

पत्रावली पेश हुई। अवलोकन किया रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार सम्वत् 2079 फसल रवि/खरीफ में आ. ख. नं. 285 रकबा 0.01 किस्म चरा/सि. चक मौजा झोपडी पैसाग पर श्री लक्ष्मण पुत्र श्री रामधन जाति साहजग निवासी झोपडी पैसाग तहसील बसवा ने बाजरा काश्त कर अतिचार किया है।

इस गैर सियाल को रा. ले. रे. एक्ट 1956 धारा का 91 (3) अन्तर्गत जारी किया गया नोटिस की तामील में गैर सायल ग्रैर हाजिर आया। अतिक्रमण करना स्वीकार करता है एक पक्षीय कार्यवाही अम्ल में लायी जाती है भूमि नियमन योग्य नहीं है। अतः आदेश दिये जाते हैं कि उक्त आराजी से गैर सायल को बेदखल किया जाता है एवं लगान दर रुपये 0.41 का 50 गुणा से 21 रुपये बतौर शास्ति कायम की जाती है। वसूली कायमी बेदखल खड़ी फसल को नियमानुसार नीलाम पेश करने हेतु भू. अ. नि./हल्का पटवारी को लिखा जावे कायमी दर्ज करने हेतु पत्रावली टी. आर. ए. को दी जावे।

पत्रावली फँसला होकर नम्बर से कम हो वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो हुक्म सुनाया गया।

तहसीलदार, बसवा
जिला-दौसा